आदेश

हल्का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुशंसा के पश्चात ग्राम नारीखेड़ा के खाता सं. 68, 56 खसरा नं. 262/1, 260 में आवेदन पत्र अनुसार शंकर पुत्र भैरूदास के स्थान पर शंकरलाल पुत्र मोहनदास शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार फागी को प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना सुनिश्चत करें। आदेश केम्प FRC ग्राम पंचायत नारीखेड़ा में दिनांक 3/4/25 को मजमेआम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, फागी
जिला-जयपुर

3/4/25
उपखण्ड अधिकारी
फागी